बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर असम सरकार मार्च 1971 के बाद असम में आकर बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार कर रही है। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से वहां जाकर रह रहे लोगों की नागरिकता प्रमाणित करने के लिए संबंधित राज्यों को सूची भेजी है। कई राज्यों से यह सूची प्रमाणित करके भेज दी है, लेकिन बिहार के जिलाधिकारियों ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। असम ने बिहार के कोने-कोने से रोजी-रोटी की तलाश में वर्षों पहले जाकर बसे 74 हजार आवेदकों की सूची भेजी है। असम में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के लिए दावे की दूसरी सूची जारी होनेवाली है, लेकिन बिहार के किसी जिले से अभी तक नागरिकता को प्रमाणित कर असम सरकार को नहीं भेजा गया है।

अत: मैं सरकार से इस संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- संजीव श्याम सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-248/2018- 2492 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 22.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

सरकारी बसें, जो मूलभूत सुविधा के अभाव में पटना व अन्य जिलों के सड़कों पर बेकार पड़ी हैं जिससे प्राइवेट बस एजेंसी अपने मनमानी तरीके से पैसे की वसूली करते हैं इससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

अत: मैं सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- संजय पासवान
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-249/2018- 2493 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 22.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों के लोग महंगे चार पहिया वाहन खरीदने के लिए पड़ोसी राज्यों को रुख कर रहे हैं। बिहार की तुलना में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में गाडियां सस्ती मिल रही हैं। पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार में अधिक कीमत वाले चार पहिया वाहन आठ फीसदी तक महंगे हैं। टोयोटा फारच्यूनर के 2.8 मॉडल की पटना में ऑन रोड कीमत 34.76 लाख रुपये है, लेकिन इसी मॉडल की कीमत रांची में 32.23 लाख है। रांची में यह गाड़ी पटना की तुलना में 2.53 लाख सस्ती है। बिहार में 10 लाख से कम की गाडियों पर रहिस्ट्रेशन शुल्क 10 फीसदी है, जबकि इससे ऊपर की गाडियों पर 12 फीसदी टैक्स है। झारखंड में पांच सीट वाले चार पहिया वाहन पर रजिस्ट्रेशन शुल्क तीन फीसदी है और आठ सीट से 10 सीट वाले वाहनों पर 4 एवं 5 फीसदी टैक्स है। बिहार में गाडियां महंगी होने से बाजार प्रभावित हो रहा है। दूसरे राज्यों से गाडियों की खरीद होने के वजह से बिहार राज्य में राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।

अत: मैं सरकार से गाडियों के निबंधन शुल्क पड़ोसी राज्यों के अनुरूप करने हेतु सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- कृष्ण कुमार सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-250/2018- 2490 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

22.11.2018

(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

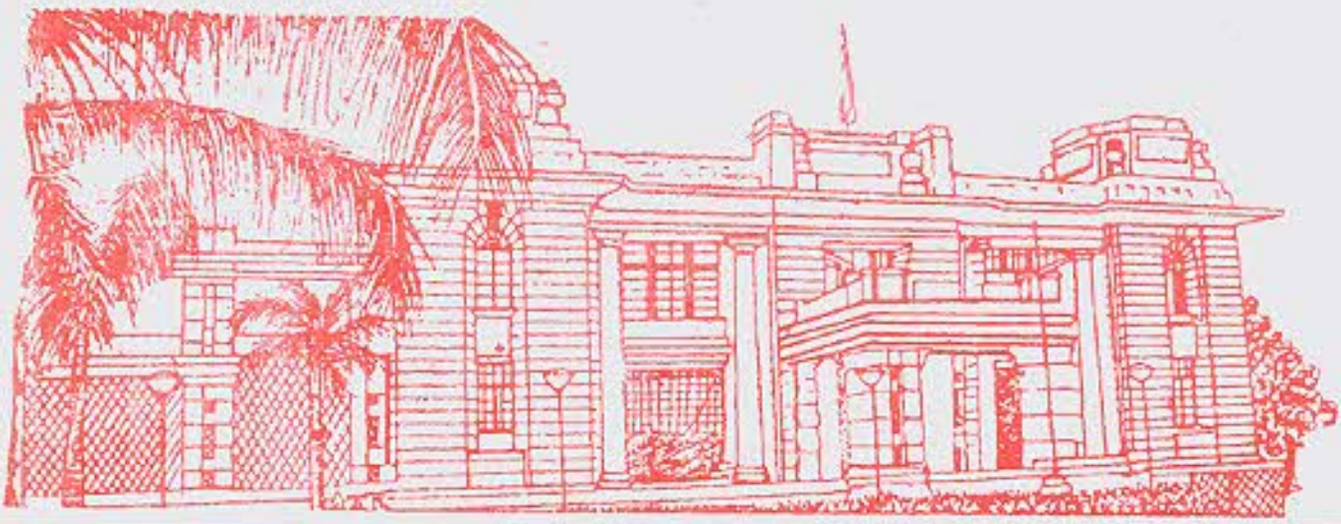

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बांका जिला नक्सल प्रभावित जिला घोषित है। मैं भागलपुर-बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से लगातार सदन में उक्त क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र भागलपुर बांका व पुलिस जिला नवगछिया से अच्छादित है।

विगत एक वर्ष पूर्व मेरे मोबाइल संख्या- 9431213333 पर नक्सली एरिया कमांडर मंटू खैरा द्वारा मुझे व मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसकी जांच तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, बांका द्वारा की गई थी। घटना को सत्य पाकर दो अतिरिक्त अत्याधुनिक हथियार से लैस सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गए थे, साथ ही भागलपुर जिला से भी दो अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए थे, परंतु बिना किसी सूचना के दोनों जिलों से उक्त सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस ले लिया गया जिसके कारण मैं और मेरा परिवार वर्तमान में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हुए भी डर के साये में जीने को विवश है।

अत: मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा हेतु अत्याधुनिक हथियार से लैस एक-चार एक सेक्शन सुरक्षाकर्मी के प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश निर्गत करने के संबंध में मैं सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- मनोज यादव
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-251/2018- 2491 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 22.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य की जनता के जान-माल की सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है। लेकिन जब राज्य के किसी जागरुक नागरिक की जान को आपराधिक छवि की पहचान रखने वाले किसी शख्स से खतरा हो और बार-बार इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दिए जाने के बाद भी ऐसे नागरिक की सुरक्षा में प्रतिनियुक्त अंगरक्षक को वापस ले लिया जाए तो यह उदासीनता समझ से बाहर है। यह पूरा मामला राज्य परिषद् के सदस्य एवं शिवहर जद (यू) के महासचिव श्री नरेन्द्र पटेल, पिता- श्री महेश पटेल, वार्ड नं.- 5, शिवहर से संबंधित है।

अत: मैं सामान्य नागरिक सुविधा से जुड़े अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति के इस मामले में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- तनवीर अख़्तर
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-252/2018- 2495 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 22.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पहाड़पुर प्रखण्ड के पूर्वी सिसवा पंचायत के वार्ड नं.- 09 केन्द्र सं.- 155 पर समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्ग दर्शिका- 2011 के द्वारा सेविका के पद पर सविता कुमारी पति मुकेश कुमार कुशवाहा का चयन किया गय परंतु तत्कालीन डी.पी.ओ. द्वारा 2016 के नियमावली का हवाला देते हुए बेबजह चयन को रद्द कर दिया गया है।

अत: मैं सरकार से सेविका सविता कुमार के चयन को बहाल करते हुए तत्कालीन डी.पी.ओ. के विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सतीश कुमार
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-255/2018- 2497 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 22.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

मधुबनी जिला अंतर्गत घोघरडीहा प्रखंड के सखुआ गांव के पास स्लुईस गेट के निर्माण योजना का प्राक्कलन फरवरी 2016 में विभागीय स्तर से तैयार किया गया था, जिसकी प्राक्कलित राशि 579.13 लाख (पांच करोड़ उनासी लाख तेरह हजार) रुपए की शीघ्र स्वीकृति हेतु प्रतिवेदन पर आज तक विचार नही किया गया, लौकही प्रखंड के नरहैया से कुपहा पथ के शिलान्यास के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ग्रामीणों की विशेष मांग पर विहुल नदी पर स्लुईस गेट निर्माण के संबंध में दिए गए आश्वासन के दो वर्ष हो गए लेकिन आज तक विभागीय स्तर से स्लुईस गेट निर्माण हेतु कोई पहल नहीं किया गया जिसके कारण कृषकों को आवश्यकतानुसार प्रत्येक मौसम में सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी नहीं मिलने से लगभग 566.80 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त स्लुईस गेट के निर्माण से उक्त क्षेत्र के बीस से भी अधिक गांव के किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

अत: मधुबनी जिला अंतर्गत घोघरडीहा प्रखंड के विहुल नदी पर सखुआ गांव के पास स्लुईस गेट निर्माण कराने के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सुमन कुमार
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-267/2018- 2516 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 26.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ जल संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 27.11.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

अनुमण्डल पदाधिकारी, बेलसंड, जिला-सीतामढ़ी द्वारा निर्गत आदेश संख्या- 375, दिनांक- 13.07.2017 एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, परसौनी, जिला- सीतामढ़ी द्वारा प्रेषित पत्र संख्या- 135 दिनांक- 04.07.2017 के बावजूद बाल विकास परियोजना कार्यालय, परसौनी, जिला-सीतामढ़ी को निजी मकान से स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि यह भवन आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-21 की सेविका पूनम कुमारी के आवास में हैं जो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इसके बावजूद सरकारी अधिकारियों के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। भवन का स्थानान्तरण नहीं होना निहित स्वार्थ पोषण को इंगित करता है।

अत: मैं यथाशीघ्र उक्त आदेश के अनुपालन के संबंध में सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- दिलीप राय
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-268/2018- 2517 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 26.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 27.11.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अन्य अस्पताल भवन बनकर तैयार हैं किन्तु स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक उपकरण नहीं लगाए जाने के कारण एवं चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने से अस्पतालों का परिचालन आरंभ नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी महात्वाकांक्षी परियोजनाओं का लाभ आम जनता को मिले, इसके लिए आवश्यक है कि इन अस्पतालों में सभी आवश्यक उपकरणों को सुव्यवस्थित ढंग से लगाई जाए। अनावश्यक देरी होने के कारण जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अत: बिहार में सभी तैयार अस्पताल भवनों में आवश्यक उपकरण एवं अन्य औपचारिक व्यवस्थाएं कर शीघ्रातिशीघ्र अस्पताल शुरू करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- दिलीप कुमार चौधरी,
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-280/2018- 2530 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 27.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ स्वास्थ्य विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 28.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

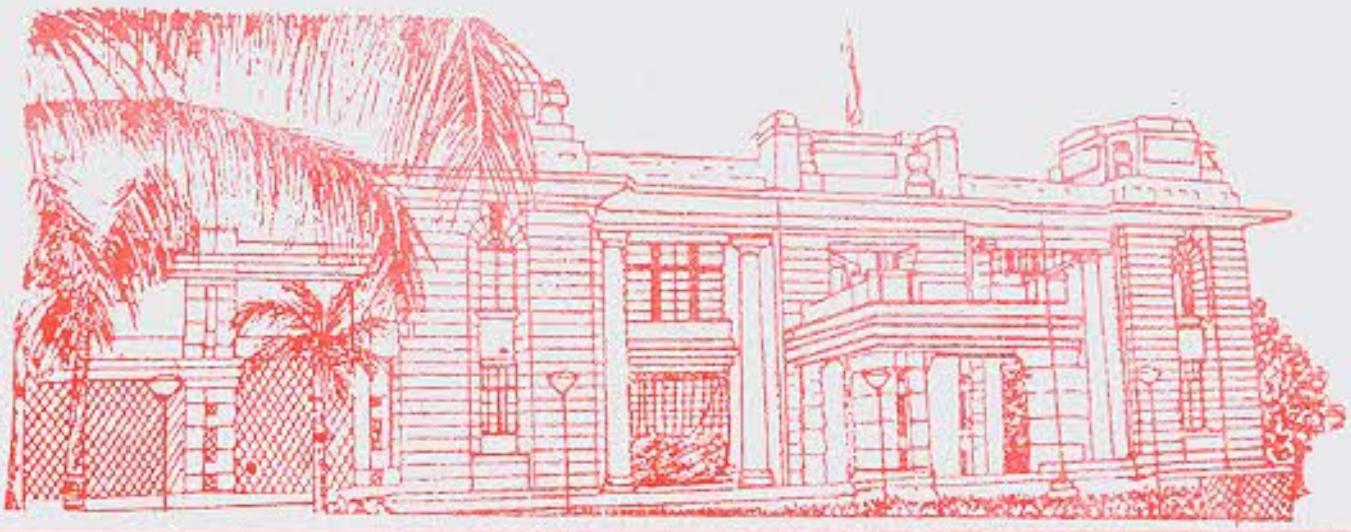

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राज्य में किसानों के हित में मुख्यमंत्री फसल बीमा सहायता योजना की शुरूआत की है जिसमें किसानों को ऑनलाईन पंजीयन आवश्यक है। लेकिन पटना जिलान्तर्गत मोकामा नगर परिषद् एवं नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर नगर पंचायत के किसानों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। वसुधा केन्द्र द्वारा आपत्ति करते हुए कहा जा रहा है कि सहकारिता विभाग द्वारा आधिकारिक सर्वर नहीं जोड़े जाने के कारण रजिस्ट्रेशन किया जाना संभव नहीं है और उक्त योजना का लाभ सिर्फ ग्राम पंचायत के किसानों को ही मिलेगा न कि नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के किसानों को, जबकि किसानों के सैकड़ों एकड़ जमीन नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में स्थित है।

अत: नगर परिषद् और नगर पंचायत के किसानों को मुख्यमंत्री फसल बीमा सहायता योजना के तहत ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने एवं उसका लाभ मुहैया कराने हेतु सदन में सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- नीरज कुमार
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-278/2018- 2526 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 27.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

27.11.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

लघु जल संसाधन विभाग मुजफ्फरपुर प्रमंडल में लोकहित के योजनाओं में भारी अनियमितता एवं सरकारी राशि का गबन किया गया। लोकहित के कई योजनाओं को बिना कार्य कराये कागज पर ही पूर्ण दिखाकर खजाने से पैसा निकाल लिया गया है। अनियमतता के कारण दोषियों के विरूद्ध जांच शुरू की गई तथा इनका स्थानान्तरण बेगूसराय कर दिया गया था किन्तु वे पुनः अपने पुराने स्थान मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हो गए। इनके मुजफ्फरपुर पदस्थापित हो जाने से आम लोगों में काफी रोष एवं क्षोभ है।

अतः मैं लघु जल संसाधन विभाग मुजफ्फरपुर प्रमंडल में सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में की गयी गड़बड़ियों एवं सरकारी राशि के गबन के दोषियों के विरूद्ध समग्र जांच करा कर दंडित करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- सुबोध कुमार
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-254/2018- 2496 (1) /वि.प.। पटना, दिनांक- 22.11.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 29.11.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 22.11.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्